प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील (प्रतिकर) सं. 1862/2018

1. श्रीमती अनुराधा बनाफर, पति- स्वर्गीय श्री रमेश सिंह बनाफर, आयु- लगभग 39 वर्ष, निवासी- ग्राम- कुशलपुर, थाना- पुरानी बस्ती रायपुर, तहसील व जिला- रायपुर छत्तीसगढ़। (दावाकर्ता)

2. कुमारी कनक बनाफर, पिता- स्वर्गीय श्री रमेश सिंह बनाफर,आयु- लगभग 13 वर्ष, द्वारा- विधिक प्रतिनिधि, माता, निवासी- ग्राम- कुशलपुर, थाना- पुरानी बस्ती रायपुर, तहसील व जिला- रायपुर छत्तीसगढ़। (दावाकर्ता)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. कुमारी रशीता बनाफर, पिता- स्वर्गीय श्री रमेश सिंह बनाफर,आयु- लगभग 10 वर्ष, द्वारा- विधिक प्रतिनिधि, माता, निवासी- ग्राम- कुशलपुर, थाना- पुरानी बस्ती रायपुर, तहसील व जिला- रायपुर छत्तीसगढ़। (दावाकर्ता)

4. आर्यन सिंह बनाफर, पिता- स्वर्गीय श्री रमेश सिंह बनाफर,आयु- लगभग 07 वर्ष, द्वारा- विधिक प्रतिनिधि, माता, निवासी- ग्राम- कुशलपुर, थाना- पुरानी बस्ती रायपुर, तहसील व जिला- रायपुर छत्तीसगढ़। (दावाकर्ता)

5. (मृत और निरसित) श्रीमती सत्यभामा बनाफर (माननीय न्यायालय के 10-09-2024 दिनांकित आदेश के अनुसार)

6. (मृत और निरसित) श्री तरण सिंह बनाफर, (माननीय न्यायालय के 10-09-2024 दिनांकित आदेश के अनुसार)

..... अपीलार्थी

बनाम

1. राम निवास शर्मा, पिता- श्री एन. के. शर्मा, आयु- लगभग 47 वर्ष, निवासी- मकान सं. 615, थाना- पुरानी बस्ती, रायपुर, तहसील व जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़ (दुर्घटना कारित करने वाले वाहन, मोटर साइकिल जिसकी पंजीयन संख्या **C.G**-04-**JF**-2238 है का चालक और स्वामी)

2. द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा- प्रबंधक, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरी मंजिल, बजरंग होटल के पास आर. डी. ए. भवन, तहसील कार्यालय के सामने, रायपुर, जिला- रायपुर छत्तीसगढ़ (दुर्घटना कारित करने वाले वाहन, मोटर साइकिल जिसकी पंजीयन संख्या **C.G**-04-**JF**-2238 है, का बीमाकर्ता)

---- प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थियों की ओर से : श्री एस. पी. साहू, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं. 2 की ओर से : श्री दशरथ गुप्ता, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा

पीठ पर आदेश

05.11.2024

1. दावाकर्ताओं/ अपीलार्थियों ने मोटर यान अधिनियम (संक्षेप में '1988 का अधिनियम') की धारा 173 के तहत यह आवेदन दावा प्रकरण सं. 49/2018 में प्रथम अतिरिक्त वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, रायपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.) के विद्वान चतुर्थ अतिरिक्त दावा न्यायाधिकरण, रायपुर, द्वारा पारित 22.09.2018 दिनांकित आक्षेपित निर्णय को चुनौती देते हुए अधिनिर्णीत राशि को बढ़ाए जाने की मांग की है, जिसमें न्यायाधिकरण ने 1988 का अधिनियम की धारा 166 के तहत प्रस्तुत आवेदन

को आंशिक रूप से स्वीकार कर रमेश सिंह बनाफर/मृतक की मृत्यु के कारण कुल रु. 15,55,460/- की राशि का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया है।

2. प्रकरण संक्षेप में ऐसा है कि 13.10.2017 को रमेश सिंह (मृतक) अपने दोस्त राम निवास शर्मा के साथ **CG**/04/**JF**/2238 पंजीकरण संख्या वाली मोटर साइकिल पर रायपुर से मोतीपुर जा रहे था। जब वे ग्राम मोतीपुर चौक के पास पहुंचे, उत्तरवादी सं. 1 ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को लापरवाही से चलाया, जिससे मोटर साइकिल के पीछे का टायर फट गया और मृतक नीचे गिर गया और इसके परिणामस्वरूप उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

3. अपीलार्थियों ने 1988 के अधिनियम की धारा 166 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें यह अभिवाक् करते हुए कुल रु. 1,4625,450/- के प्रतिकर की मांग की गई है कि मृतक की आयु लगभग 45 वर्ष थी और वह भूमि के क्रय- विक्रय का कार्य करता था, जिससे वह प्रति वर्ष रु.9,25,030/- कमाता था। उक्त दुर्घटना में मृतक के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. संबंधित पक्षों द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए अभिवचनों और साक्ष्यों का मूल्यांकन कर न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि मृतक प्रत्यर्थी सं.1 की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण आहत हुआ था जिसके कारण वह गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तदानुसार, न्यायाधिकरण ने आंशिक रूप से आवेदन को स्वीकार किया, जिसमें प्रति वर्ष 7.5% की दर से ब्याज के साथ रु. 15,55,460/- अधिनिर्णीत किया गया तथा प्रत्यर्थियों पर संयुक्त रूप से या अलग से प्रतिकर की राशि का भुगतान करने का दायित्व अधिरोपित किया गया।

5. अपीलार्थियों/दावाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रतिकर की मात्रा विधि के अनुसार नहीं है और इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

6. दावा आवेदन का प्रत्यर्थियों द्वारा विभिन्न आधारों पर विरोध किया गया था और प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता तर्क करते हैं कि न्यायाधिकरण द्वारा दावेदार को दिए गए प्रतिकर की राशि को कम नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह प्रकरण के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेखों का परिशीलन किया है।

8. अभिलेखों के परिशीलन से यह पता चलता है कि घटना के समय मृतक पीछे बैठा हुआ था और साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना के समय मृतक ने वाहन नहीं चलाया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इसके अलावा, पॉलिसी के परिशीलन से यह पता चलता है कि जारी की गई पॉलिसी एक 'पैकेज पॉलिसी' थी (प्र. **D**/1) और यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि एक पैकेज पॉलिसी में बीमा कंपनी के साथ बीमित वाहन पर सवार व्यक्ति के साथ-साथ पिलियन सवार का जोखिम भी शामिल होगा।

10. जहां तक सहभागी लापरवाही का संबंध है, न्यायाधिकरण ने कहा है कि मोटर साइकिल पर कुल दो यात्री सवार थे जिसमें मृतक पीछे बैठा हुआ था। यद्यपि, इससे पता चलता है कि लापरवाही चालक द्वारा की गई है। इस न्यायालय ने पाया है कि यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक लापरवाही कर रहा था, अतः मृतक सहभागी लापरवाही के शीर्ष के तहत नहीं आता है क्योंकि वह केवल पिछली सीट पर सवार था। जब किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक गलती करने वालों की लापरवाही के कारण चोट लगती है, तो इसे संयुक्त लापरवाही कहा जाता है। अतः पिछली सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक तथा बीमा कम्पनी से प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार है। इसलिए, वर्तमान प्रकरण में भी मृतक सहभागी

लापरवाही के शीर्ष से नहीं अपितु संयुक्त लापरवाही के शीर्ष से पूर्ण प्रतिकर पाने का हकदार है।

11. विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने मृतक की आय का आकलन रु. 2,49,512/- प्रति वर्ष के रूप में किया है। इस न्यायालय के सुविचारित मत में, न्यायाधिकरण ने मृतक की आय का उचित आकलन किया है और इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

12. न्यायाधिकरण ने माता-पिता के सहचर्य की हानि के संबंध में कुछ भी अधिनिर्णीत नहीं किया है, अतः यह न्यायालय ने अप्रासवय बच्चों की संख्या, जो कि 03 है को ध्यान में रखते हुए प्रतिकर की फिर से गणना करने का प्रस्ताव करता है। चूँकि अपीलार्थी सं. 2 और 3 मृतक की पुत्रियाँ हैं और अपीलार्थी सं. 4 मृतक का पुत्र है, इसलिए उनमें से प्रत्येक माता-पिता के सहचर्य की हानि के कारण रु. 40,000/- अधिनिर्णीत किए जाने का हकदार है। इस प्रकार, ऐसे शीर्ष के तहत रु. 1,20,000/- की राशि का आकलन किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. वर्ष 2014-15 के आयकर विवरणी से यह स्पष्ट है कि मृतक की वार्षिक आय रु. 2,18,510/- थी और वर्ष 2015-16 के लिए यह रु. 2,65,130/- थी जबकि वर्ष 2016-17 के लिए उसकी वार्षिक व्यावसायिक आय रु. 3,25,000/- थी। इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृतक की वार्षिक आय रु. 2,66,256/- थी। विद्वान न्यायाधिकरण के अनुसार, आयकर विवरणी की कटौती के बाद, शेष राशि रु. 2,49,512/- आती है।

14. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और **राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य, (2017) 16 एस. सी. सी. 680** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में यह न्यायालय फिर से निम्नानुसार गणना कर रहा है:-

स.	विवरण	न्यायालय द्वारा

क्र.		अधिनिर्णीत
1.	मृतक की वार्षिक आय	रु. 2,49,512/-
2.	1/4 कटौती के बाद आय	रु. 1,87,134/-
3.	25% की दर से भविष्य की संभावनाएँ	रु. 46,783/-
4.	कुल वार्षिक आय	रु. 2,33,917/-
5.	आय की कुल हानि की गणना के लिए 13 का गुणांक लागू किया जाना है	रु. 2,33,917 **x** 13 = रु. 30,40,921/-
6.	अंतिम संस्कार का व्यय	रु. 15,000/-
7.	संपत्ति की हानि	रु. 15,000/-
8.	पति-पत्नी के सहचर्य की हानि	रु. 40,000/-
9.	माता- पिता के सहचर्य की हानि	रु. 40,000/- प्रत्येक (2 पुत्रियाँ व एक पुत्र 1)
	कुल प्रतिकर	**रु. 32,30,921/-**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपरोक्त कारणों से, अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत रु. 15,55,460/- की राशि को बढ़ाकर **रु. 32,30,921/-** किया जाता है। अतः रु. 15,55,460/- की राशि घटाने के बाद अपीलार्थियों/दावाकर्ताओंको रु. 16,75,461/- की अतिरिक्त राशि का हकदार अभिनिर्धारित किया जाता है। उपरोक्त सीमा तक आक्षेपित अधिनिर्णय को संशोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थियों को आदेशित किया जाता है कि वे इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर इस न्यायालय द्वारा प्रतिकर की बढ़ाई हुई राशि जमा करे। प्रतिकर की बढ़ाई हुई राशि पर

न्यायाधिकरण के समक्ष दावा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से भुगतान किए जाने तक 06% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

सही/-

(अर्विन्द कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur